समाहरणालय, मधेपुरा।

(जिला आपूर्ति शाखा)

पत्रांक....................

प्रेषक,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद मधेपुरा/नगर पंचायत मुरलीगंज

मधेपुरा , दिनांक..........................

विषयः- **सत्यापित राशन कार्ड का दैनिक प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।**

प्रसंगः- इस कार्यालय के पत्रांक 313 दिनांक 21.04.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया स्मरण किया जाय, जिसके माध्यम से सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,बिहार पटना के पत्रांक 2118 दिनांक 31.03.2016 से प्राप्त विहित प्रपत्र की प्रति भेजते हुए सत्यापित राशन कार्ड का दैनिक प्रतिवेदन की मांग की गई थी, परन्तु वांछित प्रतिवेदन आपके स्तर से उपलब्ध नही कराया जा रहा है और न ही राशन कार्ड सत्यापन हेतु प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षीय पदाधिकारी/कर्मियों का आपके स्तर से अनुश्रवण एवं समीक्षा किया जा रहा है। जबकि शहरी क्षेत्र यथा-नगर परिषद मधेपुरा/नगर पंचायत मुरलीगंज का राशन कार्ड सत्यापन हेतु जिला सूचना बिज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा के अनुसार कार्डधारी का पूर्ण विवरण (बुकलेट एवं प्रपत्र) इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 295 दिनांक 11.04.2016 प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षीय पदाधिकारी/कर्मी को विगत माह ही उपलब्ध कराया जा चूका है।

विदित हो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के आलोक में SECC डाटा के आधार पर चयनित लाभार्थियों के शुद्धिकरण हेतु डाटा का सत्यापन एवं लाभूकों का आधार पंजीकरण/आधार सीडिंग तथा मृत/स्थायी रूप से निवास स्थान परिवर्तित लाभूकों का नाम हटाना एवं नये लाभूको का नाम शामिल करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

अतः विषय की महत्ता को देखते हुए अनुरोध है कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त कार्य में प्रगति लाने हेतु प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षीय पदाधिकारी/कर्मियों से सम्पर्क स्थापित कर शत प्रतिशत राशन कार्ड उपलब्ध कराये गये विहित प्रपत्र में सत्यापन कराया जाय एवं इससे संबंधित दैनिक प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से संध्या 05:00 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। इसमें किसी प्रकार के लापरवाही के लिए आप पूर्णरूपेण जबावदेह माने जायेगें।

विश्वासभजान

ह0/

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 415 /दिनांक 25.05.2016

प्रतिलिपिः- प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नगर परिषद मधेपुरा/नगर पंचायत मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर सत्यापित राशन कार्ड का दैनिक प्रतिवेदन 5:00 बजे अपराह्न तक अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस संबंध में अपने स्तर से भी अनुश्रवण एवं समीक्षा करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना बिज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितो को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिलाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
मधेपुरा।